

भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये  
रु.10



TEN  
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

14AA 221753


समक्ष - श्रीमान रिटानिग कान्हीसूर  
69 जानकमता विधानसभा शीत प्रधोक्षी  
मणिकर्ण पत्त के लक्ष्मी जयसिंह सिंह  
पुत्र श्री लालमन सिंह का सपथपत्र  
का संलग्नक ।



*Indefined*  
*Jagdish Chandra*  
*11/01/2012*

*Jasveer*

11<sup>th</sup> January 2012  
I, *Jasveer Singh* who has been  
described by *Jagdish Ch. Chandra*  
The contents of this document have been  
explained and the document appeared  
under about this name.



*[Signature]*  
R.C. Gupta Advocate Notar,  
Sitarganj, U.S. Nagar (UK)

प्ररूप 26  
(नियम 4क देखिए)

6.9 नानकमत्ता .....निर्वाचन क्षेत्र से  
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधान सभा ..... (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए  
रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने, वाला शपथ पत्र.

मैं जसवीर सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री लालमन सिंह आयु 36 वर्ष  
जो ग्राम-सिद्धदोष (थेड़ा) पो.ओ. दुसरी का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ  
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों)  
का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए  
गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों)का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत  
करेगा/करेगी):

- (I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं लागू नहीं  
(II) पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं जिला (जिले) लागू नहीं राज्य लागू नहीं  
(III) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके  
(जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है लागू नहीं  
(IV) न्यायालय,जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की गई लागू नहीं  
(V) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था लागू नहीं  
(VI) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं लागू नहीं

2. गुझे किसी अपराध(अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा  
(1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए  
सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया  
गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह  
निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

- (I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं लागू नहीं  
(II) न्यायालय,जिसने दंडित किया है लागू नहीं  
(III) पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं जिला (जिले) लागू नहीं राज्य लागू नहीं  
(IV) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके  
(जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है लागू नहीं  
(V) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे लागू नहीं  
(VI) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं लागू नहीं

स्थान:- खेगारगंज


तारीख:- 12/1/2012

Janeer  
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान  
और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपाई नहीं गई है।  
12/1/2012 स्थान पर आज तारीख 11/1/2012 को सत्यापित किया।

टिप्पणी : इस प्ररूप को अभिसाक्षी को लागू नहीं है, काट दिए जाए।



Janeer  
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर